ख्या--125/XXVII(7)02/2016

प्रेषक,

**अमित सिंह नेगी,**
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

**समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,**
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0--सा0नि0) अनुभाग--7 देहरादूनः दिनांक 07 मई, 2018

**विषयः राज्य सरकार के कार्मिकों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों, जिन्हें सातवें पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को अनुमन्य मंहगाई भत्ते की दरों का पुनर्निर्धारण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या--188/ XXVII(7)02/2016 दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 द्वारा राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवकों को, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुगन्य है तथा जिन्हें दिनांक 01 जुलाई, 2017 से 5% महंगाई भत्ता अनुगन्य है, को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या--1/1/2018--ई.II(बी) दिनांक 15 मार्च, 2018 के क्रम में उक्त के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2018 से उन्हें अनुगन्य मूल वेतन के 07% की दर से मंहगाई भत्ता पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त कर्मियों को पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 30 अप्रैल, 2018 तक (सेवानिवृत्त एवं 06 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को नगद भुगतान) की बढ़ी हुई धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी तथा 01 मई, 2018 से नकद भुगतान किया जाएगा, परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के अवशेष (एरियर) देयक में से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जायेगी।

3. मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित किये गये है, यथावत् लागू रहेंगे।

4. उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उक्तवत स्वीकृत मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुगन्य होगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

क्रमश.....2

संख्या– / XXVII(7)02 / 2016, तद्दिनांक।

**प्रतिलिपिः** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव / सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग / शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय / उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपक्रम / निकाय के कार्मिकों को उक्तानुसार दरों पर महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से निर्णय लेने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
10. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी / कुलसचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
14. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(अमित सिंह नेगी)**
सचिव।